मुद्रक - आरती प्रिन्टिंग प्रेस सिकराय

फर्द अहकाम

(नियम (26)

अज अदालत ...उपखण्ड अधिकारी..... सिकराय .....

सरकार बनाम .....तहसीलदार / रूपसिंह.....

किस्म मुकदमा .....प्रा०प्र० 131 व 132..... मु० नं० .....50/24.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1.6.24	प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 131 एवं 132 तहसीलदार सिकराय द्वारा पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज कर अपीलार्थी की तलबी की जाने वाले इन्तजार तामील दि. 2.7.24 को पेश हो।	
2/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकीलो द्वारा कार्य स्थगन/P.O. का, राज्य कार्य में व्यस्त/ दौरे पर होने से, जनरल तारीख पेशी लगाई गई। पत्रावली दिनांक 5.7.24 को पेश हो।	
5/7/24	पत्रावली पेश। अपीलार्थीगण नैहि. 2.7.24 को हाजिर होकर चालू रास्ते को दर्ज करने की सहमति व्यक्त की है। तहसीलदार प्रस्ताव पर गौर किया गया। प्रस्ताव अनुसार ग्राम करौली के खाता सं. 121 व 170 के ख.नं. 373/.04है. सम्पूर्ण व ख.नं. 374 के .06है. में से .02है. भूमि गै.मु. रास्ता स्वीकृत किया जाता है। उपरोक्त स्वीकृतशुदा रास्ता काश्तकारों की खातेदारी का ही भाग रहेगा, यानि उपरोक्त रास्ते को किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज करते हुये खातेदारी का ही भाग रहेगा। पटवारी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार सिकराय निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। (रणजीत सिंह) 5.7.24 उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला-दौसा	नि रामकिशोर नि. रामकिशोर अ० इन्द्रप्रसाद बाद्दलाकर नजीर हसन